IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

उ.प्र. के परम्परागत कारीगरों के आर्थिक उन्नयन एवं सशक्तिकरण में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की प्रासंगिकता -

डॉ. महेन्द्र त्रिपाठी
असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र)
काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
ज्ञानपुर ,भदोही (उत्तर प्रदेश)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अपने प्रदेश के परम्परागत मजदूरों के विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 26 दिसंबर 2018 को विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना आरम्भ किया गया। इस योजना में यह प्रावधान है कि छोटे उद्योगों को स्थापित करने के लिए श्रमिकों को आवश्यकतानुसार 10 हजार रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा।इस योजना में टोकरी बुनकर, कुम्हार, लोहार, राजमिस्त्री, दर्जी, बढ़ई, नाई, हलवाई, मोची व सुनार आदि परंपरागत श्रमिकों व दस्तकारों को सम्मिलित किया जाता है । विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तीन महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ – परंपरागत श्रमिकों /दस्तकारों का उनके पेशे का प्रशिक्षण ,उन्नत किस्म के टूलकिट का वितरण और आर्थिक सहायता के रूप में मार्जिन ऋण की व्यवस्था हैं । विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अन्तर्गत प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण श्रमिकों को न केवल कुशल बनाता है अपितु उन्हे उद्यमशीलता और आधुनिक प्रौद्योगिकी का मार्गदर्शन भी सुलभ करता है । उन्नत तकनीकी ज्ञान से इन श्रमिकों में बाजार अनुकूल स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होगी । इसके फलस्वरूप रोजगार भी सुरक्षित होगा और राज्य के आर्थिक विकास में उनका योगदान भी सुनिश्चित होता है । इस योजना में विनिर्माण सेक्टर को तेजी प्रदान करने की संभावनाएँ भी विद्यमान है । देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में अपनी अंतर्निहित उत्पादक शक्तियों, जनसांख्यिकी लाभांश और भविष्य की विकास की बहुत बड़ी क्षमता विद्यमान है। संभवतः यह पहला सुअवसर होगा जिसमें सरकार द्वारा परंपरागत या पुश्तैनी कारोबारियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये आर्थिक प्रोत्साहन को समग्र रूप में प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है ।यदि इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तो समावेशी विकास युक्त आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की प्राप्ति में उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका प्रदर्शित कर सकती है ।

Key words: परंपरगत कारीगर, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना,लघु उद्योग ,आर्थिक सशक्तिकरण ।

प्रस्तावना -

उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल में इसका राष्ट्रीय स्तर पर चौथा स्थान है । भारत की कुल अर्थव्यवस्था के 8.4 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है । उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रदेश में 15-59 आयु वर्ग की कुल आबादी 1111.42 लाख करोड़ है । वर्ष 2020-21 के अकड़ों के अनुसार प्रदेश के कुल GSVAमें प्राथमिक,द्वितीयक और तृतीयक खेकक्षत्रों की हिस्सेदारी क्रमशः 28.44,24.61 एवं 46.95 प्रतिशत थी ।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था मे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का महत्वपूर्ण योगदान है।यह क्षेत्र पूंजी निवेश, उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाइयों की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है तथा रोजगार प्रदान करने में इस क्षेत्र का कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा स्थान है। इस क्षेत्र का प्रदेश से होने वाले निर्यात में भी महत्वपूर्ण योगदान है। हस्तशिल्प, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, इंजीनियरिंग गुड्स कारपेट, रेडीमेड गारमेंटस तथा धर्म उत्पादों के निर्यात में उत्तर प्रदेश निरंतर अग्रणी रहा है। देश के समस्त निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 4.73% है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत की लगभग 17 प्रतिशत आबादी निवास कर रही है जिसमें 56 प्रतिशत कामकाजी आयु वर्ग के लोग है ।

परंपरागत कारीगरों की प्रमुख चुनौतियाँ :

अनेक अध्ययनों एवं सरकारी प्रतिवेदनों के निष्कर्ष में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अपने छोटे उद्यमों के माध्यम से योगदान प्रदान करने वाले परंपरागत कारीगरों की निम्नलिखित प्रमुख चुनौतियों को महत्वपूर्ण माना गया है :

- **बाजार की प्रतिस्पर्धा**: परंपरागत कारीगरों को आधुनिक और मशीन बने उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, जो कम दाम और अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इससे उनकी आय और मानदंड पर असर पड़ता है।
- **कच्चे माल की कमी**: परंपरागत कारीगरों को अक्सर उनके काम के लिए आवश्यक कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ता है।इससे उनका उत्पादन और गुणवत्ता प्रभावित होता है।
- **शिक्षा और प्रशिक्षण का अभाव**: परंपरागत कारीगरों को अक्सर उनके काम को बेहतर बनाने और नवीनीकरण करने के लिए आवश्यक शिक्षा और प्रशिक्षण का अभाव होता है। उन्हें नए तकनीकों, उपकरणों और बाजार की मांगों के बारे में जानकारी नहीं होती है जिसके फलस्वरूप इनके उत्पादों की मांग दुष्प्रभावित होती है।
- **सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का अनादर**: परंपरागत कारीगरों का काम उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। उनके काम में उनकी परंपराओं, रीतियों, धारणाओं और कल्पनाओं का अभिव्यक्ति होता है। लेकिन आधुनिक समाज में उनके काम को अस्थायी, अपरिपक्व और अवैध माना जाता है। इससे उनकी अवहेलना होती है और आत्मसम्मान और आत्मविश्वास डगमगाने लगता है ।

अध्ययन के उद्देश्य : प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1-उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का अध्ययन करना ।

2- वर्तमान परिदृश्य में प्रदेश के लघु एवं परंपरागत कारीगरों के आर्थिक सशक्तिकरण एवं उद्यमिता संवर्धन में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की प्रासंगिकता का अध्ययन करना ।

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना -

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली ऐसी योजना है जिसका प्रमुख उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों,दस्तकारों ,लुहार,सुनार ,नाई ,हलवाई ,मोची आदि श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है । इसमें उनके हुनर से सम्बन्धित छोटे-छोटे उद्योग को स्थापित करने की महत्वाकांक्षी संकल्पना भी निहित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अपने प्रदेश के परम्परागत मजदूरों के विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए **26 दिसंबर 2018** को विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना आरम्भ किया गया ।

इस योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को उनके अपने छोटे उद्योगों को स्थापित करने के लिए आवश्यकतानुसार 10 हजार रुपये से लेकर 10 लाख रु. तक की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है ।

यह योजना उन श्रमिकों / पारंपरिक दस्तकारों को 6 दिन की मुफ़्त प्रशिक्षण की सुविधा भी प्रदान कर रही है। मजदूरों को अपनी उद्यम के आधार पर दिया जाने वाला यह प्रशिक्षण कार्य पूर्णतया निःशुल्क एवं आवासीय होगा। विश्वकर्मा श्रम

सम्मान योजना में इन श्रम मजदूरों को प्रशिक्षण तहसील अथवा जिला मुख्यालय पर लघु या मध्यम उद्यम विभाग द्वारा देने का प्रावधान है ।

प्रशिक्षण प्राप्त कर ये श्रमिक अपने कामों में निपुण होकर अपनी कला को और अधिक निखार प्रदान कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य है कि प्रत्येक वर्ष 15000 से अधिक श्रमिकों को रोजगार का सुअवसर प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा ही उठाया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी आवेदकों के लिए साक्षरता का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र की चयन समिति द्वारा किया जाएगा। यह योजना उत्तर प्रदेश औद्योगिक नीति -2020 का ही एक अंश है। प्रदेश के लगभग 40% जनसंख्या मज़दूरी करके अपना जीवन यापन करती है सरकार इन सभी लोगों के कारोबार को बढ़ाने में सहायता प्रदान करना चाहती है। इसके साथ-साथ उत्तर प्रदेश के मशहूर हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देना भी सरकार का एक अन्य उद्देश्य है।17 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना योजना के अन्तर्गत उपस्थित कुल 21000 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र व टूल किट भी उपलब्ध कराया गया । इन लाभार्थियों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत त्रण भी उपलब्ध कराया गया।

योजना हेतु लाभार्थी की पात्रता एवं चयन व्यवस्था –उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत इच्छुक लाभार्थी को इस प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है तथा उसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।यदि लाभार्थी राज्य सरकार की किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त कर रहे होंगे तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगें ।इस योजना के अंतर्गत एक परिवार में केवल एक ही सदस्य योजना का लाभ ले सकता है। इस योजना के लाभार्थी को किसी प्रकार की शैक्षिक योग्यता की अनिवार्यता आवश्यक नहीं है । लाभार्थियों अपने यहाँ प्रचलित किसी पारंपरिक कारीगरी से अवश्य जुड़ा हो।

इस योजना का लाभ प्रदेश के शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के पारंपरिक कारोबारियों तथा हस्तशिल्पियों को प्राप्त होगा।विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अन्तर्गत लाभार्थी कारीगरों या दस्तकारों की पात्रता निर्धारित करने हेतु जाति (Caste)ही एकमात्र आधार नहीं होगी अपितु ऐसे व्यक्तियों को भी सम्मिलित करने का प्रावधान है जो उपरोक्त परंपरागत कारीगरी से भिन्न जाति के होंगे । यद्यपि ऐसे व्यक्तियों को इन परंपरागत कारीगरी से जुड़े होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यह प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान ,अध्यक्ष नगर पंचायत अथवा नगर पालिका /नगर निगम के संबंधित वर्ड सदस्य द्वारा निर्गत किया जाएगा जहां से लाभार्थी संबंधित होगा ।

<u>विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन निम्न प्रकार से गठित समिति के माध्यम से किया जाएगा -</u>

(A) अध्यक्ष -उपयुक्त उद्योग ,जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र ।
(B) समिति में निम्न पदाधिकारी सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगें –
- (I) अग्रणी जिला प्रबंधक ।
- (II) दो प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के जिला समन्वयक ।
- (III) जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ।
- (IV) प्रधानाचार्य ,राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ।

लाभार्थी श्रमिकों के आवेदन पर चयन समिति एक सूची निर्मित कर चयनित संस्था को प्रस्तुत कर दिया जाता है जिसके उपरांत प्रशिक्षण हेतु अलग अलग बैच तैयार किये जाते हैं । ऋण हेतु चयनित होने वाले श्रमिकों की सूची संबंधित ऋण योजना की सक्षम समिति द्वारा तैयार करने का प्रावधान है । चयनित लाभार्थियों के आवेदन संबंधित बैंक शाखा को प्रेषित कर दिया जाता है । यदि बैंक द्वारा किसी आवेदक का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तो उसका स्पष्ट कारण लिखकर जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र को वापस करना होगा।इस योजना के प्रभवी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये जिला स्तर पर

जिला स्तरीय बैंकर्स समिति तथा राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा नियमित समीक्षा करने एवं अनुश्रवण करने का प्रावधान भी है ।

उन्नत प्रशिक्षण की व्यवस्था –

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के परम्परागत श्रम शक्ति को कुशल एवं सशक्त बनाने और उनके उन्नयन हेतु प्रशिक्षण की जिम्मेदारी लखनऊ स्थित **उत्तर प्रदेश इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन एण्ड रिसर्च** (UPIDR) की है । यह संस्थान विभिन्न ट्रेड के लाभार्थी श्रमिकों की आवश्यकता के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास सुनिश्चित करने हेतु डिजाइन किया गया है । उपयुक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण न केवल इस रोजगार कार्यक्रम की क्षमता बढ़ाता है अपितु लाभार्थी श्रमिकों की सामाजिक -आर्थिक स्थिति में सुधार करने में महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका निभाता है। उत्तर प्रदेश इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन एण्ड रिसर्च तकनीकी विशेषज्ञता,सामयिक नवाचार एवं शिल्प कौशल युक्त व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करता है । यह संस्थान डिजाइन और अनुसंधान में अपनी उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है क्योंकि इसके पास अनुभवी डिजाइनरों,प्रशिक्षकों और विशेषज्ञों की टीम है जो बाजार मांग के अनुरूप प्रशिक्षुओं को उद्योग-प्रासंगिक मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करते हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की इस योजना में दिया जाने वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम तहसील अथवा जिला मुख्यालय पर पूरी तरह नि:शुल्क व आवासीय होगा। इस दौरान प्रशिक्षणार्थियों को श्रम विभाग तय अर्धकुशल मजदूरी की दर से मानदेय का भी प्रावधान है । विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अन्तर्गत परंपरागत श्रमिकों व दस्तकारों को प्रशिक्षण का कार्य प्रदेश में स्थित आईटीआई ,3000 खड़ी ग्रामोद्योग के केंद्रों या आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा निर्धारित केंद्रों पर उपलब्ध कराया जाएगा । इन केंद्रों में प्रत्येक बैच में कुल 25 प्रशिक्षार्थी सम्मिलित होंगे जिनको प्रशिक्षणोपरांत प्रमाण पत्र भी प्रदान किये जाने का प्रावधान है ।

परम्परागत कारीगरों द्वारा प्रयुक्त किये जा रहे औजार पुरानी तकनीक पर आधारित होते हैं जिससे उन्हें अपने व्यवसाय का वास्तविक लाभ नहीं प्राप्त हो पाता है।अतः विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से आच्छादित पारंपरिक कारीगरों एवं दस्तकारों को प्रशिक्षित किये जाने के पश्चात उनके व्यवसाय से सम्बन्धित आधुनिकतम तकनीक पर आधारित उन्नत किस्म का टूलकिट प्रदान किया जाता है।प्रशिक्षण की अवधि में इन लाभार्थियों को वेतन भी प्राप्त होता है।परम्परागत कारीगरों व दस्तकारों को समय-समय पर वित्तीय समस्या का भी सामना करना पड़ता है।इस समस्या के निवारणार्थ सरकार ने यह प्रावधान भी सुनिश्चित कराया है कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में प्रशिक्षण एवं टूलकिट प्राप्त कर चुके लाभार्थी ऋण सुविधा हेतु वर्तमान में संचालित मार्जिन मनी की योजनाओं के अंर्तगत ऋण की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं की आय उत्पन्न करने हेतु लाभार्थी निम्नलिखित योजनाओं के अंर्तगत ऋण प्राप्त कर सकते हैं-

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

-मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना।

-एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना।

-प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।

प्रशिक्षण प्राप्त कर ये श्रमिक अपने कार्यों में अपनी कला को और अधिक निखार प्रदान कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक वर्ष 15000 से अधिक श्रमिकों को रोजगार का सुअवसर प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा ही उठाया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी आवेदकों के लिए साक्षरता का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र की चयन समिति द्वारा किया जाएगा। यह योजना

उत्तर प्रदेश औद्योगिक नीति -2020 का ही एक अंश है। प्रदेश के लगभग 40% जनसंख्या मज़दूरी करके अपना जीवन यापन करती है सरकार इन सभी लोगों के कारोबार को बढ़ाने में सहायता प्रदान करना चाहती है। इसके साथ-साथ उत्तर प्रदेश के मशहूर हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देना भी सरकार का एक अन्य उद्देश्य है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत छोटे उद्योग स्थापित करने को पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है ।इसके फलस्वरूप सबसे अधिक लाभ उन् श्रमिकों को प्राप्त होगा जो आर्थिक तंगी की वजह से चाहकर भी खुद का रोजगार शुरू नहीं कर पाते। अधिक से अधिक लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए लोन में 25% तक की छूट भी दी जाती है । प्रदेश सरकार की नई उद्योग नीति दस्तकारों व उद्यमियों के लिए अत्यंत अनुकूल और बेहतर मानी जा रही है।

17 सितंबर 2021 को विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अन्तर्गत उपस्थित कुल 21000 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र व टूल किट उपलब्ध कराया गया । इन लाभार्थियों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत त्रण भी उपलब्ध कराया गया।

वर्तमान संदर्भ में उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की प्रासंगिकता –

उत्तर प्रदेश में मजदूरों और श्रमिको की कोई कमी नहीं है बल्कि साधनों की कमी से यह मजदूर और श्रमिक न ही अपने हुनर को विकसित कर पाते हैं और न ही कोई उद्योग स्थापित कर पा रहे हैं । राज्य के मजदूरों के विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना एक परिवर्तनकारी कदम हो सकता है क्योंकि यह परंपरागत श्रमिकों को सशक्त बनाता है और उनके सामाजिक आर्थिक स्तर के उन्नयन में महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न करता है । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक नीति -2020 के अन्तर्गत प्रदेश में बड़ी मात्रा में रोजगार सृजन करने एवं टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किया गया है । नीति यह निर्धारित करती है कि सरकार राज्य की ताकतों का निर्माण कैसे करेगी और अवसरों का लाभ उठाते हुए उन्हें भविष्य में कैसे विस्तारित करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य अपनी पूरी क्षमता हासिल कर पा रह हैं । इस नीति का उद्देश्य जिम्मेदार और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करना भी है। एक ऐसा विकास जिसकी पहुँच समाज के सबसे कमजोर लोगों और उनके क्षेत्रों में हो जहां वे रहते हैं तक सुनिश्चित हो सके। उत्तर प्रदेश की यह औद्योगिक नीति अगले पांच वर्षों के लिए राज्य के लिए एक रणनीति ढांचा प्रदान करती है जिसके आधार पर प्रमुख निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश निर्णय लिए जाने हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य विगत कुछ वर्षों से देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक के रूप में उभर रहा है। इसी क्रम में राज्य की अनंत विद्यमान क्षमता का लाभ उठाते हुए औद्योगिक विकास के लिए राज्य को **एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था** बनाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।उत्तर प्रदेश सरकार, सर्वांगीण और संतुलित सामाजिक-आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए, वर्तमान में वैश्विक निवेशकों के अनुकूल और आकर्षक माहौल बनाने की नीतियों पर फोकस कर रही है,यथा -

1- एक ट्रिलियन-डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के राज्य के लक्ष्य को सक्षम करने के लिए एक प्रगतिशील, नवीन और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना और बनाना।

2- राज्य में पूंजी निवेश बढ़ाना और उद्योगों को सुदृढ़ीकरण के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचा प्रदान करना और बनाए भी रखना।

3- कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के कार्यबल के लिए अधिकतम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार और स्व-रोज़गार के अवसर उत्पन्न करना।

4 - रोजगार और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य के कार्यबल को कुशल बनाना।

5 - नवाचार की भावना को बढ़ावा देते हुए उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना।

6 - संतुलित, टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करना।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति- 2017 के अनुक्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करते हुये इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजित किये जाने तथा पूंजी निवेश को आकर्षित कर प्रदेश को विकसित राज्यों में अग्रणी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना इस लक्ष्य प्राप्ति की संकल्पना को सिद्ध करने वाली हो सकती है।

सूक्ष्म ,लघु एवं मध्यम उपक्रम तथा निर्यात संवर्धन विभाग (Department of MSME & Export Promotion) के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के द्वारा प्रदेश के 1.43 लाख से अधिक लोगों को लाभ प्रदान किया जा चुका है।राज्य सरकार की इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रवासी मजदूरों और पारंपरिक श्रमिकों को विभिन्न प्रकार के लाभ उपलब्ध किये जाते है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी श्रमिकों को एडवांस टूलकिट भी प्रदान की जाती है। अभी हाल ही में सितम्बर 2023 में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना' के अंतर्गत प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 50,000 करोड़ रुपये का मेगा ऋण एवं लाभार्थियों को टूल-किट वितरण किया गया ।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के जनमानस में प्रचार प्रसार और सरकार की कुछ अन्य योजनाओं यथा एक जनपद एक उत्पाद योजना से जोड़ते हुये संबंधित जनपद हेतु चयनित उत्पाद से वहाँ के स्थानीय पारंपरिक कारीगरों व दस्तकारों को प्राथमिकता देने का प्रावधान भी सुनिश्चित किया गया है । वस्तुतः भारतीय समाज में शिल्पकारों और दस्तकारों के हतोत्साहित होने का एक प्रमुख कारण उनके उत्पादों की कमजोर विपणन व्यवस्था को ही माना जाता है । कारीगरों और शिल्पकारों को एक टिकाऊ बाजार और सुगम विपणन तंत्र उपलब्ध करना भी समय की आवश्यकता है।सरकार द्वारा आयोजित किये जाने वाले हुनर हाट, हस्तशिल्प एवं उपहार मेलों के आयोजन के साथ ही एक जिला-एक उत्पाद जैसी योजना भी इनके उत्पादों को नया जीवन प्रदान कर सकती है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना **से अब तक 1.40 लाख** शिल्पियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 75000 पारंपरिक कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों को लाभान्वित करने हेतु 10993.64 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत क गई जिसके सापेक्ष 75000 पारंपरिक कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षित करते हुए टूलकिट वितरण में 10940 लाख रुपये का व्यय किया गया । वर्ष 2022-23 में 30000 लाभार्थियों हेतु 11250 लाख रुपये की धनराशि का प्रविधान किया गया है। सितम्बर 2022 तक कुल 1000 लाख रुपये के आवंटन से 29950 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका था **(उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2022-23,पृष्ठ :62-63)**।

देश के पारंपरिक उद्योगों को प्रोत्साहन का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे घरेलू विनिर्माण पर पड़ेगा। स्थानीय स्वरोजगार खत्म होने का सबसे अधिक लाभ चीन जैसे देशों को हुआ है । विश्वकर्मा योजना स्थानीय कौशल को नई ऊर्जा देकर स्वदेशी उत्पादों की आपूर्ति और खपत बढ़ाएगी। मेक इन इंडिया से लेकर वोकल फार लोकल जैसे अभियान का मूल उद्देश्य यही रहा है। आधुनिक प्रौद्योगिकी की वजह से देश की श्रमबल संरचना में तेजी से बदलाव हो रहा है। ऐसे में एक ट्रिलियन आकार की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रदेश में घरेलू उत्पादन बढ़ाने से ही संभव हो सकता है ।

निष्कर्ष –

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना स्थानीय दस्तकारों तथा पारंपरिक कारीगरों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में व्यापक परिवर्तन की संभवनाएँ समेंटे हुए है । कोरोना जैसी आपदा के समय सरकार द्वारा लगाये गये लॉकडाउन से दुष्प्रभावित कारीगरों के लिए यह एक वरदान साबित हो सकती है ।इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण उपागम यह है कि यह छोटे उद्योगों को बढ़ावा देगा । इस योजना में पारंपरिक कारीगरों को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर बैंकों से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है जिससे वे अपना लघु उद्योग स्थापित कर सकते हैं। इस योजना में टोकरी बुनकर, कुम्हार, लोहार, राजमिस्त्री, दर्जी, बढ़ई, नाई, हलवाई, मोची व सुनार आदि ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

इस योजना के अन्तर्गत कारीगरों /शिल्पकारों के प्राप्त आवेदनों में से योग्य लोगों का चयन कर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची जैसे पारंपरिक

स्वरोजगारियों तथा हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन व उद्यमिता संवर्धन हेतु सरकार की यह योजना अत्यंत प्रासंगिक हो सकती है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में जिन परंपरागत कारीगरों या दस्तकारों को सम्मिलित किया गया है उनके उद्यम एक विशेष तरह के हुनर और भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित रहे हैं और सदियों से यह कारीगरी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही है।विश्वकर्मा योजना से मिलने वाले आर्थिक प्रोत्साहन से ऐसे लोग अपने व्यवसाय को संस्थागत रूप दे सकेंगे।प्रशिक्षण के पश्चात प्राप्त होने वाले 15 हजार रुपये तक के आधुनिक उपकरण(टूलकिट) से श्रमिकों को आधुनिक प्रौद्योगिकी और बाजार से संबंधित जानकारी मिलेगी।

वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत की लगभग 17 प्रतिशत आबादी निवास कर रही है और कुल आबादी का 56 प्रतिशत कामकाजी आयु वर्ग के लोग है। सरकार को चाहिए कि वह नये बाजारों की जरूरतें पूरी करने और दस्तकारों एवं कारीगरों की मदद हेतु ऐसे पेशेवरों की सेवाएं ले जिन्हें व्यावहारिक ज्ञान और उद्यमिता की समझ हो। वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए परंपरागत कारीगरों को सरकार,संगठनों और समुदाय के समर्थन की नितांत आवश्यकता है। उनके काम को संरक्षित, सम्मानित करने उन्हें उचित मूल्य, बाजार, शिक्षा, प्रशिक्षण, बैंकिंग, बीमा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की सुविधाएं भी प्राप्त होनी चाहिए। इस योजना से श्रमशक्ति में महिलाओं की भागीदारी भी प्रोत्साहित होगी । स्वरोजगार आधारित एक बड़े वर्ग तक प्रौद्योगिकी लाभ पहुचाने वाली श्रम सम्मान योजना से से कुटीर एवं परंपरागत उद्योग की औद्योगिक उत्पादन में हिस्सेदारी बढ़ेगी जिसके फलस्वरूप आर्थिक विषमता दूर होगी। ।यदि इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तो समावेशी विकास युक्त आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की प्राप्ति में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका प्रदर्शित कर सकती है ।

संदर्भ सूची

1 – पुरी ,वी. के.मिश्र ,एस. के .एवं गर्ग ,भारत (2022)-"इण्डियन ईकानमी ,हिमालया पब्लिशिंग हाउस ,नई दिल्ली ।

2-दत्त, गौरव एवं महाजन ,अश्वनी (2021)-"इण्डियन ईकानमी "एस चंद पब्लिशिंग ,2021-22 नई दिल्ली।

3 -उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा 2022-23 अर्थ एवं संख्या विभाग राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश

4 "कारीगरों-शिल्पकारों को मिला सहारा"'-दैनिक जागरण 23 सितम्बर 2023

5- कुमार, नरेन्द्र (2020)-"विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से बदलेगा दस्तकारों का जीवन,जानिए किस तरह मिलेगा लाभ "दैनिक जागरण ऑनलाइन संस्करण ,29 जून 2020

6- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त (2023)-आयुक्त उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश, कानपुर,सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ का दिनांक: 26 दिसम्बर, 2018 का पत्र ।

7 - upid.ac.in/vishwakarma-shram-samman-yojana-vssy

8 -https://diupmsme.upsdc.gov.in

9- www.up.gov.in

10- invest.up.gov.in

11- "विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना दिलाएगा पांच लाख रुपये तक का लोन" , दैनिक जागरण ऑनलाइन संस्करण 18 सितम्बर 2018 06:25 PM (IST)